



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक 1940 (श10)  
(सं0 पटना 965) पटना, सोमवार, 5 नवम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 नवम्बर 2018

एस० ओ० 269, दिनांक 5 नवम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं० एस० ओ० 238, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 जो बिहार राज्य पत्र, असाधारण अंक, में संख्या 847, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को 1 अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।”।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-5011)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 नवम्बर 2018

एस० ओ० 269 दिनांक 5 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-5011)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 5<sup>th</sup> November 2018*

S.O. 269, Date 5<sup>th</sup> November, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 238, dated the 13<sup>th</sup> September, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 847, dated the 13<sup>th</sup> September, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the 1st day of October, 2018.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-5011)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary,*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 965-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>